



पीठासीन अधिकारी के मंग अधिवान 2021

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पंचायत (समिति) थल

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान सीताराम आदि बनाम राजस्थान सरकार ज़रिये लहलहा

दावा बाबत रिकॉर्ड डुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88

मुकदमा नम्बर :- 124/2022

निर्णय दिनांक :- 15-06-22

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-06-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी स्वीकार किया जाना शैबी ग्राम बहननगर खाता सं. 281 खे. नं. 1339/199 की जमाबंदी में अफिट नाम सीताराम, दामेश्वराम, दीपवी डकी, सन्तोडकी, शान्ती डकी सम्पत्ती डकी पुत्र पुत्री विराज मे वादीगण के पिशाकका नाम सी वाताम किसे जोने की घोषणा की जाती। वादीगण के विरुद्ध के आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या सरकारी धनमा की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। लहलहा थल उन्तानुला राजस्व अभिलेख में अमान्य डकन की।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15-06-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

चूरु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



1989
20.06.2022